न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00090

छोटूलाल उर्फ छोटे आयु 69 वर्ष आत्मज रंगलाल जाति गुर्जर निवासी देवली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. देवलाल आत्मज श्री किशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवली जिला बून्दी ।
2. छीता बाई बेवा श्री किशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवली जिला बून्दी ।
3. गंगाबाई पुत्री श्रीकिशन पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी कापरेन ।
4. कंचन बाई पुत्री किशन पत्नी नाथूलाल जाति गुर्जर निवासी हाण्डाखेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. रामनाथी बाई पुत्री हजारा पत्नी छीतर लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम झरान्या की झौपडियां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. अम्बालाल आत्मज रंगलाल जाति गुर्जर निवासी देवली ।
7. देव प्रकाश आत्मज चौथमल जाति गुर्जर निवासी देवली जिला बून्दी ।
8. जगदीश आत्मज चौथमल जाति गुर्जर निवासी देवली जिला बून्दी ।
9. पुष्पा बाई बेवा चौथमल जाति गुर्जर निवासी देवली जिला बून्दी ।
10. अनोख बाई पुत्री चौथमल जाति गुर्जर निवासी देवली जिला बून्दी ।
11. विमला बाई पुत्री चौथमल जाति गुर्जर निवासी देवली जिला बून्दी ।
12. प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ राजस्थान शाखा कापरेन हाल बैंक आईसीआईसीआई।
13. प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अरनेठा जिला बून्दी ।
14. प्रबन्धक महोदय बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक कापरेन जिला बून्दी ।
15. प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा कापरेन जिला बून्दी ।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 98ए, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवली तहसील के0 पाटन में कुल 05 किता की रकबा 2.61 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के पिता श्रीकिशन व हजारा की गैर खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार उक्त ग्राम में कुल 03 किता की 0.61 हैक्टर आराजी स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 11 के शामलाती खाते में दर्ज है । इसके अलावा इसी ग्राम में कुल 11 किता की रकबा 6.67 हैक्टर भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 11 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है । वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं जो हिन्दू परिवार के सदस्य हैं । वर्तमान में वादी उक्त वर्णित आराज़ी पर बराबर–बराबर काबिज काश्त हैं । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि वादी के पिता श्री रंगलाल के द्वारा हांक जोत कर कृषि लायक भूमि बनायी थी । वादी की नाबालिग अवस्था में ही उनके पिता शांत हो गये और सम्मिलित परिवार का सम्पूर्ण कारोबार वादी के बडे भाई श्रीकिशन व हजारा ने संभला जिन्होंने सम्मिलित परिवार से प्राप्त आय में से रूपये जमा करवा कर उक्त सम्पूर्ण भूमि को आवंटन करवाया । प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के पिता हजारा एवं श्रीकिशन ने बदनियतिपूर्वक यह आराजी स्वयं के खाते दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि वादी के भाई को बंटवारे में दी गई है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी के निरन्तर कब्जे काश्त की शामलाती भूमि पर प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के पिता/पति श्रीकिशन व हजारा के साथ 1/5 हिस्से पर नाम दर्ज करवा सके ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी कुल 05 किता की रकबा 2.61 हैक्टर पर वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के साथ हिस्सा 1/5 में दर्ज किया जावे इसी अनुसार डिक्री पारित की जावे । वादपत्र की चरण संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित भूमि में से वादी का हिस्सा 1/5 बंटवारा किया जाकर अलग से जमाबन्दी जारी जावे तथा इसी अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से में प्राप्त भूमि या उसके किसी भी हिस्से पर प्रतिवादीगण वादी की शांतिपूर्वक काश्त व्यवस्था में व्यवधान पैदा नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 11 के पिता आपस में सगे भाई हैं जो अविभक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं । वादग्रस्त आराजी वादी सहित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता व प्रतिवादी कम 7 लगायत 11 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 की शामलाती कृषि भूमि है जिस पर अपने हिस्सेनुसार पक्षकारान काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को कोई खण्डन नहीं किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने बंटवारा एवं अधिकार घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिसको दिनांक 16.11.2017 को खारिज कर दिया गया । वादी और प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 11 के पिता आपस में सगे भाई हैं । आराजी शामलाती खाते की है जिस पर पक्षकारान हिस्से के अनुसार काबिज हैं । चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी को वादी अपीलान्ट के पिता रंगलाल ने हांक जोत कर कृषि योग्य बनाया था। परिवार का सम्पूर्ण कार्य वादी अपीलान्ट के बडे भाई श्रीकिशन एवं हजारा ने संभाला था । उन्होंने संयुक्त परिवार की आय से भूमि को आवंटित करवाया और प्रतिवादी हजारा और श्रीकिशन के नाम करवा लिया । आराजी को उनके पिता ने आबाद किया था । इस कारण उन्हें इसमें सहखातेदार दर्ज करवाने का अधिकार है । चरण संख्या 02 और 03 में वर्णित भूमि में वादी अपीलान्ट सहखातेदार दर्ज हैं जिसके बंटवारे की प्रार्थना की थी । बंटवारा कराने का वादी अपीलान्ट को वैधानिक अधिकार है फिर भी दावा खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे की चरण संख्या 1, 2 और 3 में अंकित आराजी के बाबत् सहायता चाही है इसमें चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी के बाबत् हक घोषणा चाही है और चरण संख्या 2 और 3 में वर्णित आराजी के बाबत् विभाजन की सहायता चाही है ।

9. वादी ने अपने दावे क समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 106 प्रदर्श–1 जिसके अनुसार कुल 05 किता की 2.61 हैक्टर आराजी श्रीकिशन, हजारा पिसरान रंगलाल के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्द संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 105 प्रदर्श–2 जिसके अनुसार कुल 03 किता की 0.81 हैक्टर आराजी श्रीकिशन, हजारा, अम्बालाल, चौथमल, छोटू पिसरान रंगलाल के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 21 प्रदर्श–3 के अनुसार कुल 11 किता की 6.67 हैक्टर आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 5, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 6 पेश किये हैं ।

10. वादी ने बयान छोटूलाल पीडब्ल्यू–1 कराये हैं ।

11. पत्रावली पर आदेशिका दिनांक 25.01.2016 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है । पत्रावली में साक्ष्य वादी के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय से दावा वादी खारिज किया गया है । वादी के द्वारा अपने दावे में हक घोषणा एवं विभाजन दोनों

सहायता चाही गई हैं और वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी के बाबत् हक घोषणा की सहायता चाही है और मद संख्या 02 और 3 में वर्णित आराजी के बाबत् विभाजन की सहायता चाही है । मद संख्या 01 में वर्णित आराजी प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। बिना किसी विधिक दस्तावेज के इसमें वादी को सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । यदि मद संख्या 01 में वर्णित आराजी के बाबत् हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती तो भी वादी मद संख्या 2 और 3 में वर्णित आराजी के बाबत् विभाजन की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण दावे को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । हम इस प्रकरण में वादी जिन आराजियात में सहखातेदार दर्ज हैं उसके बाबत् विभाजन की डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के मध्य नजर वादी जिन आराजियात में सहखातेदार दर्ज हैं उसमें विधि सम्मत रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की जावे तथा राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार, के0 पाटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा